फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मु0 जयपुर

संयुक्त कृषि सहकारी बनाम सूरजपोल गृह निर्माण वगै0

ख्या : बाजदायरी प्रा. पत्र 13/2021

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
30.04.2024	पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली आदेश हेतु नियत हैं। प्रार्थी की प्रा0 पत्र पर पूर्व में बहस सुनी जा चुकी हैं। प्रार्थी ने दौराने बहस अभिवचन किया कि वाद दिनांक 17.03.2020 को अदम हाजरी, अदम पैरवी व आदेश 9 नियम 5 सीपीसी में खारिज कर दिया गया प्रार्थी ने जाहिर किया की कोविड –19 के कारण नियत समय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका तथा पूर्व में पूर्व अधिवक्ता द्वारा सूचना नहीं दी। अतः आदेश पुर्नविचार किये जाने योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियादी अधिनियम को स्वीकार कर वाद को पुनः बहाल किया जावे। हमने प्रा0 पत्र व मूल दावे का अवलोकन किया मूल दावे के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि दावा अदम हाजरी, अदम पैरवी व 09R5 के तहत खारिज किया गया था। मूलवाद संयुक्त कृषि बनाम सूरजपोल गेट में प्रार्थी/वादी को दिनांक 29.01.2019 को प्रतिवादीगण की तलवी हेतु आदेशित किया गया था परन्तु प्रार्थी ने लगभग आठ पेशीयॉं निकल जाने के उपरान्त भी नोटिस तलबाना पेश नहीं कियें। फलस्वरूप आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत वाद खारिज किया गया। प्रार्थी/वादी ने लंबे अंतराल बाद वाद को पुनः बहाल करने व मियाद में प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 5 पेश किया है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अपीलीय/सक्षम न्यायालय में भी पेश नहीं कर किया है प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व बहस में ऐसे कोई ठोस साक्ष्य अथवा कथन पेश नहीं किये जिससे कि मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार होने योग्य हों। आदेश 9 नियम 5 सीपीसी जिसमें स्पष्ट लिखा है कि :– **जहां समन प्रतिवादी या कई प्रतिवादियों में से एक के नाम निकाले जावे और तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात् उस तारीख से सात दिनों की अवधि तक, वादी न्यायालय से नए समन निकालने के लिए आवेदन करने में असफल रहता है वहां न्यायालय यह आदेश करेगा कि वाद खारिज कर दिया जावे :–** **ऐसी दशा में वादी (परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए) नया वाद ला सकेगा।** उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादी/प्रार्थी द्वारा वाद के लम्बे अंतराल बाद पुनः वाद बहाल करने हेतू ठोस कारण अथवा सबूत पेश नहीं किये तथा वादी 09R5 में वाद खारिज होने पर केवल (परिसीमा विधि के अधीन रहते हुए) नया वाद ला सकता है। फलस्वरूप प्रार्थी/वादी का प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Me
Date: 2024.09.09 12:40:26 IST
Reason: SelfAttested